न्यायालय राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4021–एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30.10.2014 – पारित व्दारा – तहसीलदार, तहसील ईसागढ़ – प्रकरण कमांक 79 अ–12/2013–14

1– कन्हैयाराम पुत्र छोटेलाल जाटव
2– उमकारलाल पुत्र छोटेलाल जाटव
दोनों निवासी ईसागढ़ जिला अशोकनगर –– आवेदकगण

विरूद्ध

ददुआ पुत्र मंगलिया हरिजन निवासी
ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश ––– अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 16 फरवरी, 2.015 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील ईसागढ़ के प्रकरण कमांक 79 अ–12/2013–14 में पारित आदेश दि030.10.14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त इतिहास ऐसा है कि अनावेदक ने तहसीलदार ईसागढ़ के लिये आवेदन देकर बताया कि उसकी ईसागढ़ में भूमि क्रमांक 1197/2 का सीमांकन कर दिया जाय। तहसीलदार ने प्रकरण नम्बर 79 अ 12/13-14 दर्ज करके राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु अधिकृत किया। राजस्व निरीक्षक ने मौके पर जाकर सीमांकन करके तहसीलदार ईसागढ़ को प्रतिवेदन दिया, जिस पर आवेदकगण ने आपत्ति दर्ज कराई । तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश दिनांक 30-10-14 पारित करके राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन को अंतिमता प्रदान कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो मे लिखे आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों कें तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनावेदक ने स्वयं के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 1197/2 के सीमांकन की मांग करते हुये सीमांकन शुल्क जमा कर सीमांकन कराया है । जब राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कार्यवाही की है सभी मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देकर दिनांक 20-6-2014 को मौके पर जाकर सीमांकन किया है एंव सीमा चिन्हों को जरीव से नापकर उपस्थित पंचों के समक्ष सर्वे क्रमांक 1197/2 की सीमाओं को समझाया है। सीमांकन के दौरान आवेदकगण का अनावेदक की भूमि पर बेजा कब्जा पाया गया है जिसे आवेदकगण के अभिभाषक आवेदकगण की भूमि होना बता रहे हैं। यदि आवेदकगण सीमांकन से अपनी भूमि प्रभावित होना मानते हैं तब वह अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र हैं जिसके कारण तहसीलदार ईसागढ़ के प्रकरण क्रमांक

79 अ-12/2013-14 में पारित आदेश दि0 30.10.14 में किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 79 अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.10.14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर